भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 395

05 दिसंबर, 2023 को उत्तरार्थ

विषयः- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत जुटाई गई निधि

395. श्री राजन बाबूराव विचारे:

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के अंतर्गत विगत पांच वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष महाराष्ट्र राज्य के लिए कितनी धनराशि जारी की गई है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त योजना के उद्देश्यों को प्राप्त कर लिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह तोमर)

(क) और (ख): निम्नलिखित कार्यक्रम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत कार्यान्वित किए जाते हैं।

i. प्रति बूंद अधिक फसल
ii. कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन
iii. मृदा स्वास्थ्य और उर्वरता
iv. परम्परागत कृषि विकास योजना
v. वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास
vi. कृषि वानिकी
vii. फसल विविधीकरण कार्यक्रम
viii. आरकेवीवाई- विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) घटक

पिछले पांच वर्षों के दौरान आरकेवीवाई के विभिन्न कार्यक्रमों के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार को जारी किए गए निधि की वर्षवार स्थिति अनुबंध-। पर है।

(ग) एवं (घ): जी हाँ। महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार, योजना के तहत निम्नलिखित हस्तक्षेप किए गए हैं।

(i) संरक्षित खेती, खेत तालाब की लाईनिंग, कुएं का निर्माण, यंत्रीकरण, कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचना और गोदाम जैसी फसलपूर्व एवं फसलोपरांत की सुविधाएं प्रदान की गईं हैं।

(ii) राज्य ने अपनी आवश्यकता के अनुसार परियोजनाओं की योजना बनाने के लिए लचीलेपन का उपयोग किया गया है।

(iii) किसानों की आय बढ़ाने के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) परियोजनाएं लागू की गईं हैं।

(iv) भंडारण संरचनाओं, फसलोपरांत की संरचनाओं, पशुपालन परियोजनाओं के माध्यम से किसानों के जोखिम को कम किया गया है।

(v) राष्ट्रीय प्राथमिकताओं को समस्याग्रस्त मिट्टी के सुधार, त्वरित चारा विकास परियोजनाओं, पैर और मुंह की बीमारी जैसी परियोजनाओं के माध्यम से पूरा किया गया है।

किसानों को किराये पर मशीनें और उपकरण उपलब्ध कराने के लिए 1160 से अधिक कस्टम हायरिंग सेंटर, 30 हाई टेक हब और 192 से अधिक ग्राम फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं। 0.233 हेक्टेयर क्षेत्र में समेकित कृषि प्रणाली लागू की गई हैं और छह लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई सुविधाएं स्थापित की गईं हैं। कृषि भूमि पर वृक्षारोपण को प्रोत्साहित करने और उसका विस्तार करने के लिए 11 लाख से अधिक पेड़ लगाए गए हैं।

लो.स.अता.प्र.सं.395

अनुबंध-I

वर्ष 2018-19 से वर्ष 2022-23 के दौरान सुसंगत आरकेवीवाई विभिन्न घटकों के तहत महाराष्ट्र राज्य सरकार को आवंटित और जारी की गई निधियां

(रूपए करोड़ में)

क्र.सं.	घटक का नाम	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		2022-23	
		आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति	आवंटन	निर्मुक्ति
1	प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)	480.00	360.00	325.00	325.00	400.00	300.00	400.00	200.00	400.00	334.00
2	कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन (एसएमएएम)	151.71	145.50	77.92	75.00	77.92	40.57	77.92	91.48	70.00	72.44
3	मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएचसीएंडएम)	46.89	47.80	8.55	9.90	6.15	3.71	0.00	0.00	6.00	3.94
4	परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)	16.92	0.00	34.11	34.11	7.47	0.20	0.42	0.00	7.46	4.50
5	वर्षा सिंचित क्षेत्र विकास (आरएडी)	25.00	25.00	26.00	16.50	19.00	4.75	16.00	4.00	20.00	15.00
6	कृषि वानिकी	4.00	2.00	1.50	0.75	2.00	1.60	2.00	0.00	यह प्रोग्राम घटक लागू नहीं किया गया.	
7	फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)	आरकेवीवाई योजना का यह घटक लागू नहीं									
8	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) डीपीआर घटक	247.78	245.11	261.76	253.57	290.88	199.62	249.23	120.55	229.77	57.45
	कुल	**968.33**	**823.41**	**712.23**	**714.08**	**801.42**	**548.85**	**743.57**	**416.03**	**733.23**	**487.33**

* पिछले वर्षों में जारी निधियों के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा न करने के कारण कम/शून्य निर्मुक्त हुई थी।

*****